

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

✓ 1. अपील संख्या - 358/2014/कोटा.

2. अपील संख्या - 359/2014/कोटा.

मैसर्स एस. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी, छावनी, रामचंद्रपुरा, कोटा.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री देवेन्द्र सिंह राजौरा, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 15/10/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलों अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प-कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 81 व 82/वेट/12-13/कोटा में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 12.12.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(2) में पारित आदेश दिनांक 03.03.2011 एवं कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये धारा 24 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों आंशिक स्वीकार करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई हैं।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। आलौच्य अवधियों के दौरान अपीलार्थी द्वारा बिना ई.सी. के संविदा कार्य निष्पादित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश निम्नानुसार पारित किये गये हैं :-



लगातार.....2

(i) अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु क्रय किये गये माल में खर्च एवं लाभांश नहीं जोड़े गये। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लाभांश व खर्च जोड़ते हुए विभिन्न दरों से वैट व तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया है।

(ii) अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु कर चुकाकर क्रय किये गये माल के पेटे क्लेम किये गये आई.टी.सी. को सत्यापन के अभाव में अस्वीकार किया गया है।

(iii) करमुक्त खरीदे गये माल के करमुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहने पर उक्त माल में खर्च व लाभांश जोड़ते हुए करारोपण किया गया है।

(iv) त्रैमासिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है।

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी द्वारा कार्य संविदा में निष्पादित कार्यों के पेटे क्रय किये गये माल में खर्च व लाभांश जोड़ते हुए किये गये कर व ब्याज के आरोपण एवं धारा 58 की शास्ति की सीमा तक अपीलें अस्वीकार की गई तथा आई.टी.सी. अस्वीकृत किये जाने तथा करमुक्त माल के प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के बिन्दु पर प्रकरणों में अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	खर्च एवं लाभांश पर आरोपित		अस्वीकृत आई.टी.सी.	करमुक्त माल पर आरोपित कर	धारा 58 की शास्ति
		कर	ब्याज			
1	2	3	4	5	6	6
358/14	2008-09	3,16,859	25,244	56,868	-	36,350
359/14	2009-10	1,29,782	-	1,03,635	9,022	41,641

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। अपीलार्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है, जिसने अर्वाडर रावतभाटा परमाणु बिजली परियोजना द्वारा आवंटित कार्य निष्पादित किये हैं। वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट-10ए प्रस्तुत किया था एवं त्रैमासिक विवरण प्रपत्र पेश करने में असमर्थ रहा था। अपीलार्थी के



कार्य की प्रकृति को देखते हुए खरीद की लागत कम थी एवं श्रम व्यय ज्यादा था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी बुनियाद एवं रिकॉर्ड की जांच खरीद की राशि को बढ़ा दिया। अपीलार्थी द्वारा वैट चुकाकर खरीद किये गये माल पर आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। वैट अधिनियम की धारा 58 की शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया कि अपीलार्थी धारा 58(2) के तहत विवरणी भरने के दायित्वाधीन होने से अधिकतम रूपये 5000/- की शास्ति लगाई जा सकती है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

- (1) अपील संख्या 1652/2011 व 251/2012 निर्णय दिनांक 01.05.2013 (रा.क.बो.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स गुडविल एडवांस कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कोटा.
- (2) अपील संख्या 209/2007 निर्णय दिनांक 16.04.2012 (रा.क.बो.) सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स इण्डिया ट्यूब मिल्स एण्ड मेटल इण्डस्ट्रीज, कोटा.
- (3) अपील संख्या 987, 988, 990 व 991/2012/जयपुर निर्णय दिनांक 13.09.2013 (रा.क.बो.) मैसर्स नागपाल मेडिकल स्टोर, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्-एफ, जयपुर.
- (4) अपील संख्या 1418, 1419 व 1420/99/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 01.11.2002 मैसर्स बी.एम. कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.
- (5) अपील संख्या 1869, 1870/2012/अलवर निर्णय दिनांक 21.01.2015 (रा.क.बो.) मैसर्स रेगालिया बिल्डवेल प्रा० लि०, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुन्झुनू.
- (6) सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं० 60/1993 आर.टी.टी. नं० 589/1996 निर्णय दिनांक 15.02.1999 (आर.टी.टी.) मैसर्स त्रिवेणी बोरवेल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्-ए, कोटा.

6. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर चुकाकर क्रय किये गये माल में वृद्धि किये जाने में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। जबकि माल में वृद्धि किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर भी अपीलिय अधिकारी द्वारा अपीलें अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।




7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों की विवरणियां विलम्ब से पेश किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में; कार्य संविदा में प्रयुक्त माल की खरीद में खर्च व लाभांश नहीं जोड़े जाने के आधार पर तदनुसार खर्च व लाभांश जोड़ते हुए करारोपण किये जाने में; करमुक्त माल खरीद के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर करमुक्ति खरीद को अस्वीकार करते हुए तदनुसार करारोपण किये जाने में एवं कर चुकाकर क्रय किये गये माल के सत्यापन के अभाव में आई.टी.सी. अस्वीकृत किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा खर्च व लाभांश की राशि पर किये गये करारोपण तथा की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि करते हुए अन्य बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी का प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

9. हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा निष्पादित संविदा कार्य बिना ई.सी. हैं। अतः संकर्म संविदा में प्रयुक्त माल पर करारोपण का दायित्व बनता है। अपीलार्थी द्वारा संकर्म संविदा कार्यों में प्रयुक्त किये गये माल में खर्च व लाभांश को नहीं जोड़ा गया था, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खर्च व लाभांश जोड़ते हुए तदनुसार करारोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं, जिनमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

10. वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में अपीलार्थी का यह कहना उचित नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये सुनवाई दिनांक 22.02.2011 एवं कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये 29.11.2011 व 30.01.2012 के लिये नोटिस जारी किये गये हैं, जो कि अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में तामील भी हुए हैं। अतः बावजूद सूचना अपीलार्थी द्वारा विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण उचित



प्रकार किया गया है। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी मासिक करदाता की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में यह तथ्य अंकित किया गया है कि वह मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः धारा 58 के तहत अधिकतम रूपये 5,000/- की शास्ति ही आरोपित की जा सकती है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रमशः रूपये 36,350/- व रूपये 41,641/- का आरोपण किया गया है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी जिस श्रेणी का करदाता है, उस श्रेणी के तहत ही विधि अनुसार शास्ति का आरोपण किया जावे।

11. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निष्पादित संकर्म संविदा कार्यों में प्रयुक्त करमुक्त माल के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्त खरीद को अस्वीकार करते हुए करारोपण किया गया है। इसी प्रकार कर चुकाकर खरीदे गये माल पर आई.टी.सी. अस्वीकार की गयी है। उक्त दोनों बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किये जावे। अतः इस सीमा तक भी अपीलीय अधिकारी के आदेशों में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है।

12. यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों से सुसंगतता के अभाव में अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं पहुंचाते हैं।

13. परिणामस्वरूप, धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक अपीलार्थी की दोनों अपीलों आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं। शेष सभी बिन्दुओं पर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

कोटा 15.10.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य